



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

प्रो. आनन्द पाटील
कुलसचिव (कार्यवाहक)
Prof. Anand Patil
Registrar (Acting)

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

क्रमांक : 006/Est./Gen./65/Vol.II/ 488

दिनांक : 30/03/2025

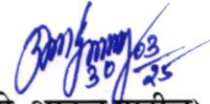
अधिसूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत “उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवम् छात्राओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, प्रतिषेध एवम् निवारण हेतु विनियम, 2015” के बिन्दु क्रमांक-4 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में पूर्व-गठित आन्तरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee) का प्रशासनिक एवम् तकनीकी कारणों से अधिसूचना क्रमांक 006/Est./Gen./65/Vol.II/1519, दिनांक 30.09.2024 के माध्यम से पुनर्गठन किया गया था। उपर्युक्त अधिसूचना के द्वारा डॉ. पूनम वर्मा, प्रोफेसर एवम् मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट, महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, सेवाग्राम, वर्धा (महाराष्ट्र) को समिति की पीठासीन अधिकारी के रूप में नामित किया गया था।

पूर्वोक्त डॉ. पूनम वर्मा द्वारा समयाभाववश उक्त दायित्व के निर्वहन में असमर्थता व्यक्त किये जाने के परिणामस्वरूप, उनके स्थान पर डॉ. अनुपमा गुप्ता, प्रोफेसर एवम् निदेशक, रोग-निदान विज्ञान विभाग, महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, सेवाग्राम को आन्तरिक शिकायत समिति (ICC) की पीठासीन अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिसूचना क्रमांक 006/Est./Gen./65/Vol.II/1519, दिनांक 30.09.2024 में उल्लिखित समिति के शेष सभी सदस्य एवम् दिशा-निर्देश यथावत् प्रभावी रहेंगे।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जाता है।


(प्रो. आनन्द पाटील)

प्रति (ई-मेल द्वारा) : समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि (संज्ञानार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु) (ई-मेल द्वारा) :

1. माननीय कुलपति सचिवालय
2. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष/निदेशक/केन्द्र निदेशक
3. अकादमिक निदेशक/प्रभारी, क्षेत्रीय केन्द्र,
4. अन्तरराष्ट्रीय विद्यार्थी सलाहकार
5. पुस्तकालयाध्यक्ष
6. कुलसचिव कार्यालय
7. कुलानुशासक
8. मुख्य छात्रावास अधीक्षक
9. वित्ताधिकारी (कार्यवाहक)
10. परीक्षा नियन्त्रक (कार्यवाहक)
11. समस्त प्रशासनिक अनुभागों/प्रकोष्ठों के नियन्त्रणाधिकारी
12. प्रभारी – ‘लीला’ वेबसाइट पर अपलोड हेतु।